भूपेन्द्र चौधरी बनाम तहसीलदार सोजत
राजस्व वाद सं0:— 66 / 2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला—पाली

पीठासीन अधिकारीः— मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 66 / 2025

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. भुपेन्द्र चौधरी पुत्र जोगाराम जाति जाट निवासी चौपड़ा तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

1. श्री किशन सोनी, श्री दिनेश चन्द पालरिया अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

दिनांक :— 23/07/2025

—: निर्णय :—

1. अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम चौपड़ा, पटवार हल्का चौपड़ा, भू—अभिलेख निरक्षण क्षेत्र चौपड़ा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 189, 224/1, 421/2, 920/1 कुल खसरा 04 कुल रकबा 2.3850 है0 की कृषि भूमि में वादी का 1/2 हक हिस्सा तथा शेष 1/2 हिस्सा वादी के भाई गोपाराम का आया हुआ स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भाकरराम पुत्र जोगाराम इन्द्राज सुदा हैं। वादी का वास्तविक नाम भुपेन्द्र चौधरी है तथा वादी के आधार कार्ड, पहिचान पत्र, पैन कार्ड, परिवार कार्ड, बैंक खाता इत्यादि दस्तावेजात में वादी का नाम भुपेन्द्र चौधरी पुत्र जोगाराम दर्ज है, जो सही है। वादी को अपने घर परिवार में लाड प्यार से भाकरराम के नाम से पुकारते है। इसलिए राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड में सम्वत 2055 में फौतेदगी म्यूटेशन इन्द्राज करते समय वादी का नाम भाकरराम दर्ज कर दिया गया। तब से आज दिन तक यानि सम्वत 2055 से 2077 तक राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भाकरराम दर्ज चला आ रहा है। भाकरराम के नाम से मुझ वादी को अपने घर परिवार व समाज में लाड प्यार से पुकारते है, जबकि मेरा वास्तविक भुपेन्द्र चौधरी है। जबकि मेरे परिवार में भाकरराम का मेरे अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। ग्राम चौपड़ा में मुझ वादी की अन्य कृषि भूमि खसरा नंबर 444 रकबा 1.4300 हैक्टर में मुझ वादी का नाम भुपेन्द्र चौधरी दर्ज है, जो सही है। हाल ही में मुझ वादी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 09/05/2025 को प्राप्त करने पर मुझ वादी को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि वादरथ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में मुझ वादी का घरेलू नाम भाकराम पुत्र जोगाराम दर्ज है, उससे पूर्व मुझ वादी को उक्त नाम बाबत किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए राजस्व रेकर्ड में मुझ वादी का नाम भाकरराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर भुपेन्द्र चौधरी पुत्र जोगाराम दुरूस्त किया जाकर खातेदारी घोषणा किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

2. इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी द्वारा राजस्व वाद प्रस्तुत कर माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर फरमाई जावें कि उपरोक्त पद सं0 01 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी का नाम भाकरराम

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

पुत्र जोगाराम के स्थान पर भुपेन्द्र चौधरी पुत्र जोगाराम को खातेदार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

3. इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब दावा हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत द्वारा जवाब दावा पेश कर पैरा सं0 01 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम चौपड़ा में स्थित होना, पैरा सं0 02 से 06 वादी स्वयं साबित करना तथा पैरा सं0 07 से 10 कानूनी होना अंकित किया हैं।

4. तहसीलदार सोजत से वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/रीडर /2025/775 दिनांक 02.06.2025 के जरिये निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चौपड़ा के खाता सं0 856 प्रार्थी भुपेन्द्र चौधरी पुत्र जोगाराम के नाम दर्ज है। प्रार्थी का नाम खाता सं0 857 में 1/2 हिस्सा दर्ज है, खाता सं0 857 में प्रार्थी का नाम भाकरराम पुत्र जोगाराम दर्ज हैं। अन्य सम्पूर्ण दस्तावेजों में यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, मूल निवास, राशन कार्ड, जन–आधार कार्ड, ई–श्रम कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम भुपेन्द्र चौधरी पुत्र जोगाराम दर्ज है जो वास्तविक व सत्य हैं। मौका अनुसार जांच में भी भाकरराम के स्थान पर भुपेन्द्र चौधरी ही पाया गया हैं, की रिपोर्ट पेश की।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

5. बहस अधिवक्ता वादीएवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों का दोहराते हुए निवेदन किया कि पद सं0 01 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी का नाम भाकरराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर भुपेन्द्र चौधरी पुत्र जोगाराम को खातेदार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिनुरूप निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दावा, जवाब दावा, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादीएवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के नया खाता सं0 857 में वादी का नाम भाकरराम पुत्र जोगाराम जाति जाट सा0देह खातेदार दर्जसुदा हैं, जबकि इसी सरहद मौजा चौपड़ा की अन्य जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के नया खाता सं0 856 में वादी का नाम भुपेन्द्र चौधरी पुत्र जोगाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार दर्ज हैं। वादी के अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड 2287 8126 4114, पैन कार्ड सं0 AXZPC4187E, राशन कार्ड, लाईविंग लाईसेंस सं0 RJ19 20160040676, माध्यमिक विद्यालय परीक्षा की अंकतालिका, जन आधार सं0 5133867855, ई–श्रम कार्ड सं0 7119 6104 0316, मूल निवास प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र इत्यादि में वादी का नाम भुपेन्द्र चौधरी पुत्र जोगाराम दर्ज हैं। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी मौके पर भाकरराम के स्थान पर भुपेन्द्र चौधरी ही होना पाया गया। जिससे वादी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम भाकरराम नहीं होकर भुपेन्द्र चौधरी होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज भाकरराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर भुपेन्द्र चौधरी पुत्र जोगाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

–: <u>आदेश</u> :–

7. अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम चौपड़ा, पटवार हल्का चौपड़ा, भू—अभिलेख निरक्षण क्षेत्र चौपड़ा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 189, 224 / 1, 421 / 2, 920 / 1 कुल खसरा 04 कुल रकबा 2.3850 है0 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज भाकरराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर भुपेन्द्र चौधरी पुत्र जोगाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं, तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलेक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी जिला-पाली (राज.)

8. यह निर्णय आज दिनांक 23/07/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलेक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)